

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015


क्रमांक: एफ/2/2015/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त संहिता में, भाग-दो में, परिशिष्ट 23 में, -

- (1) अनुच्छेद आठ में, द्वितीय पैरा में, शब्द "मार्च के महीने में, यदि बिल में ऐसा व्यय समाविष्ट हो जिसकी व्यवस्था 31/3 के पश्चात् व्यपगत हो जाती हो तो वह चैक पर "31/3 के पश्चात् भुगतान योग्य नहीं" शब्द वाला रबर स्टॉप अंकित कर देगा" का लोप किया जाए ।
- (2) (एक) अनुच्छेद ग्यारह में, तृतीय पैरा में, -
  - (क) शब्द "भुगतान किए गए चैक प्राप्त होने पर" के स्थान पर, शब्द "भुगतान किए गए चैकों का विवरण प्राप्त होने पर" स्थापित किए जाएं;
  - (ख) शब्द "सहित आधाक्षर" के स्थान पर, शब्द "लिखेगा" स्थापित किया जाए.
- (दो) चतुर्थ पैरा में कोष्ठक तथा शब्द "(भुगतान किए गए चैकों के साथ)" का लोप किया जाए.
- (3) अनुच्छेद अठारह में, मद (2) में, शब्द "भुगतान किए गए चैक के साथ" का लोप किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकुर्जी)  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
FINANCE DEPARTMENT  
VALLABH BHAWAN**

**NOTIFICATION**

Bhopal, dated 31 October, 2015

No. F1-2/2015/Rule/IV - In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Treasury Code, namely:-

**AMENDMENTS**

In the said Code, in Volume-II, in Appendix 23,-

1. In article VIII, in the second paragraph, the words "In the month of March he shall stamp the cheque as 'Not payable after 31/3' when it covers such expenditure provision for which lapses on 31/3" shall be omitted.
2. (i) In article XI, in the third paragraph
  - (a) For the words "receiving the paid cheques", the words "receiving details of the paid cheques" shall be substituted;
  - (b) For the words "initial with", the words "write" shall be substituted;(ii) In the fourth paragraph, "the brackets and words "(together with the paid cheques)" shall be omitted.
3. In article XVIII, in item (2), for the words "supported by paid cheques" shall be omitted.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh.

  
(Aniruddhe Mukerjee)  
Secretary

Government of Madhya Pradesh  
Finance Department.

क्रमांक : एफ।-2/2015/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी)  
मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
29. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
30. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
31. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
32. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

४